

No. Q/PA.III/578/01/2012

**विदेश मंत्रालय
(प्रशासन विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांकित 14 मार्च, 2017

रिक्ति परिपत्र

इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में चिकित्सीय अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त चिकित्सीय अधिकारियों (सामान्य चिकित्सक) से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में इस पद का वेतन मान है रु. 67,700 - 2,08,700. आवेदकों का वर्तमान वेतन उपरोक्त उल्लिखित वेतन मान से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. चयनित अधिकारियों पर निम्न नियम एवं शर्तें, एवं अधिकार लागू होगा:

- i. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य गैर-व्यवसायी भत्ता के साथ भारत के वेतन दर सहित संलग्नित वेतन बैंड का मूल वेतन।
- ii. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार इस्लामाबाद के HCI के चयनित चिकित्सीय अधिकारी को स्तर 11 के मूल पद के भारत-आधारित गैर-IFS, गैर-प्रतिनिधित्ववादी अधिकारियों के लिए स्वीकार्य प्रतिपूरक भत्ता के समान प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में समय-समय पर मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रतिपूरक भत्ता का दर नियंत्रित किया जाएगा। अधिकारी के प्रतिनियुक्ति/ विदेश में नियुक्ति के दौरान मूल कैडर में पदोन्नति और अतीतपेक्षी या भावी तिथि से वेतन मान की समीक्षा, वार्षिक बढ़ोतरी, MACP इत्यादि का उपार्जन जैसे किसी भी कारण से अधिकारी का पद अपग्रेड नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. अधिकार के अनुसार आवास।

iv. समय-समय पर संशोधित IFS (PLCA) नियम, 1961 के अनुसार चयनित अधिकारी एवं उसके पति/पत्नी के लिए सरकार के तरफ से भारत में स्थित नौकरी के स्थल से इस्लामाबाद तक और वापसी के लिए रेलवे सहित वायु यात्रा का खर्च।

v. समय-समय पर संशोधित मौजूदा नियमों के अनुसार गैर-IFS अधिकारी के लिए स्वीकार्य AMA योजना, समग्र हस्तांतरण अनुदान, परिधान भत्ता, घर जाने का किराया एवं अन्य अनुदान।

vi. यह पद गैर-व्यवसायी है एवं उपरोक्त सूचना अनुसार सामान्य प्रतिपूरक लाभ स्वीकार्य होगा।

vii. विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान मूल केंद्र के चयनित चिकित्सक के पदोन्नति के मामले में "अगले निम्न नियमों" के अन्तर्गत कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

viii. प्रतिनियुक्ति का सामान्य कार्यकाल दो वर्षों का है, जन हित के कारण जिसे घटाया या विस्तारित किया जा सकता है।

3. यह निवेदन किया जाता है कि इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में चिकित्सीय अधिकारी के पद के लिए रिक्ति के विषय में चिकित्सीय अधिकारियों में जानकारी परिसंचारित करें एवं यह O.M. जारी तिथि से 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को योग्य अधिकारियों के नाम, जन्म तिथि, वर्तमान वेतन एवं वेतन मान, योग्यता, अनुभव, परिवार का आकार इत्यादि जैसे विवरणों सहित उनका उत्परिवर्तित आवेदन पत्र एवं गत 5 वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र भेजा जा सकता है।

4. निश्चित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि इस संबंध में कोई प्रश्न है, तो उसे uspa3@mea.gov.in पर श्री वासुदेव रवि, US (PA-III) को संबोधित किया जा सकता है।

5. इस समनुदेशन के लिए चयनित अधिकारी को अनुवर्ती चरण में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सिबी जॉर्ज)

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव
2. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव (जी), रक्षा मंत्रालय, दक्षिणी ब्लॉक, नई दिल्ली
4. निदेशक (सीएस), डीओपीटी, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली- व्यापक परिसंचरण के लिए इस परिपत्र को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. उप सचिव, सीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या- 309-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली